न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15,
लखनऊ।

एस0टी0 सं0 186/2019,
सरकार बनाम हसीब अहमद आदि

21—6—2019

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त हसीब अहमद जेल से उपस्थित। अभियुक्त मो0 शुएब उपस्थित। पत्रावली आज आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप विरचित किये जाने के सन्दर्भ में विद्वान ए0डी0जी0सी0, क्रिमिनल व अभियोजन की ओर से उपस्थित प्राइवेट अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में अं0धारा 147,148,149,323,504,506,307,302,324,120बी भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है, जबकि अभियुक्तगण के अधिवक्तागण के द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त हसीब की निशानदेही पर आलाकत्ल लकडी की फंटी बरामद की है। उक्त फंटी के सन्दर्भ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई भी आख्या पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रति अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी है। घटना करने का कोई आशय भी अभियोजन पत्रावली पर नहीं ला सका है। मृतक की मृत्यु समुचित चिकित्सा प्राप्त न होने के कारण हुयी है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के द्वारा कथित आरोप नहीं बनता है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्त मुशीर, राजा, हसीब, रईस, वहीद व मारूफ सहित अन्य अज्ञात लोगों के विरूद्ध दिनांक 26.8.18 को समय 6.00 बजे वादी की दुकान पर आकर लाठी, डण्डों व धारदार हथियारों से मारपीट किये जाने का मुकदमा लिखाया गया। घटना में शोएब, सफी अहमद के चोटें आयी हैं। उल्लेखनीय है कि मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत मो0 शोएब की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, जिस कारण प्रकरण में धारा 302 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वसी अहमद ने विवेचक को दिये अपने बयान में भी इस तथ्य का समर्थन किया कि घटना वाले दिन दिन में 12 बजे वादी के भतीजे व सुहेल राजा व उस्मान आदि की मारपीट हो गयी। इसी बात को लेकर समय 6 बजे अभियुक्तगण अपने साथियों के साथ वादी की दुकान पर आये और शोएब व सफी अहमद को गम्भीर चोटें पहुंचायी। मृतक के पिता साजिद अली ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना शुरू होते समय वह मौके पर नहीं था, परन्तु सूचना पर जब वह मौके पर आया तो देखा कि अभियुक्तगण लाठी, डण्डे व धारदार हथियार से शोएब व सफी को मारपीट रहे थे। उसने स्वयं देखा कि उसका बडा बेटा कयूम बीच—बचाव कर रहा था और शुएब लाठी, डण्डे व फंटी से मारपीट कर रहा था। घटना के चश्मदीद व चुटहिल सफी अहमद ने भी यह बयान दिया कि घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे अभियुक्तगण ने उसे व उसके भाई शोएब को मारा पीटा। हसीब ने

किसी धारदार हथियार से मारा, जिससे उसका भाई गिर पडा और मरणासन्न हो गया। अस्पताल में शोएब की मृत्यु हो गयी। चश्मदीद साक्षी कयूम ने भी घटना को साबित करते हुये यह बयान दिया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर लाठी, डण्डे व धारदार हथियार से मृतक मो0 शोएब व चुटहिल सफी अहमद को मारपीट कर घटना कारित किया।

मृतक मो0 शोएब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि घटना में मृतक के शरीर पर 4 चोटें आयी और चिकित्सक ने अपनी राय में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि मृत्यु पूर्व आयी चोटें स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं। जबकि चुटहिल सफी अहमद की मेडिको लीगल रिपोर्ट के अनुसार घटना में 3 चोटें व शरीर में दर्द की शिकायत थी।

घटना के चश्मदीद साक्षियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि चोटें धारदार हथियार व लाठी, डण्डे से पहुंचायी गयी। मृतक को सिर में आयी चोट फंटी से आ सकती है अथवा नहीं या धारदार हथियार से ही आ सकती है। यह साक्ष्य का बिन्दु है, आरोप के स्तर पर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। जहां तक फंटी के सन्दर्भ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व उक्त रिपोर्ट को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को दिये जाने का बिन्दु है तो इस सन्दर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि धारा 207(v) दं0प्र0सं0 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ में यदि कोई अन्य अभिलेख है तो मजिस्ट्रेट उसकी प्रति भी अभियुक्त को दे सकता है। उल्लेखनीय है कि आरोपपत्र के साथ केस डायरी में कहीं भी इस तथ्य का अंकन नहीं है कि पुलिस के द्वारा सीएफएल की उक्त रिपोर्ट भी आरोपपत्र के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है और जब सीएफएल की ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है तो इस स्तर पर ऐसे दस्तावेज पर संज्ञान लिये जाने व उसकी प्रति अभियुक्त को दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्तुत प्रकरण में मृतक की मृत्यु घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप हुयी या उपचार में लापरवाही के कारण हुयी। यह साक्ष्य का बिन्दु है। इसका निर्धारण आरोप के स्तर पर नहीं किया जा सकता। घ टना का आशय भी साक्ष्य के उपरांत ही निर्धारित किया जा सकता है, हालांकि प्रस्तुत प्रकरण में घटना वाले दिन ही 12 बजे अभियुक्तगण व मो0 जैद की मारपीट होने का बिन्दु अंकित है और इसी कारण शाम को 6 बजे प्रस्तुत प्रकरण की घटना कारित होने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने स्पष्ट राय दी है कि मृतक को इस प्रकृति की चोटें थी, जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध मृतक शोएब की हत्या कारित करने के सन्दर्भ में धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप बनाये जाने का आधार पर्याप्त है। चूंकि इस घटनाक्रम में अभियुक्तगण के द्वारा सफी अहमद को भी चोटें पहुंचायी गयी है तो ऐसी परिस्थिति में सफी अहमद की हत्या के प्रयत्न का आरोप अं0धारा– 307 भा0दं0सं0 भी बनाये जाने का आधार पर्याप्त है। उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी व गाली–गलौज करते हुए आपराधिक षडयंत्र करते हुए कारित की गयी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,148,302/149,307/149,504,506,120बी भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण

में एक मृतक व एक चुटहिल है। जिनके सन्दर्भ में क्रमशः धारा 302 व 307 भा0दं0सं0 का आरोप बनाया जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में धारा 323 व 324 भा0दं0सं0 में पृथक आरोप बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/149, 307/149,147,148,504,506,120बी भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 15, लखनऊ।